संख्या-27/2015/1184/एक-4-15-02बी-4/2009टी0सी0

प्रेषक,

डी0के0सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त् एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0 प्र0,लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 08 जुलाई, 2015**

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत प्रदेश के अवशेष जनपदों के भू-मानचित्रों के डिजिटाईजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0-290.42लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-819/1-18-2015-क0सेल/19/2005, दिनांक 19-05-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल केन्द्र पुरोनिधानित भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2463/1-4-13-2बी-4/09, दिनांक 17-01-2014 द्वारा कैडस्टल मैप्स के डिजिटाईजेश्न हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0-580.84800/- लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त के क्रम में प्रदेश के 69 अवशेष जनपदों के भू-मानचित्रों के डिजिटाईजेशन हेतु रू0-290.42लाख (रूपया दो करोड नब्बे लाख बयालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/आवंटन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) योजनाओं के व्ययों को मानक मदवार हुई बजट व्यवस्था की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।
(2) वस्तुओं के क्रय के संबंध में क्रय नियमों के अधीन बाजारू प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।
(3) वस्तुओं/सामग्री का क्रय करने हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन बाजारू प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।
(4) कम्प्यूटर तथा मशीनों के क्रय के संबंध में निविदा की कार्यवाही के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा, जिससे समर्पण की स्थिति उत्पन्न न हो, इस संबंध में राजस्व परिषद का उत्तरदायित्व होगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं भारत सरकार के मानक के अनुसार ही किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में नई मागों के माध्यम से अनुदान संख्या-52 लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय योजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं-0101-प्रदेश के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के-100/रा0-के0)-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह शासनादेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है

भवदीय,

(डी0के0सिंह)
विशेष सचिव ।

http://shanadesh.up.nic.in

संख्या-27/2015/1184(1)एक-4-15-2बी-4/2009टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी लखनऊ ।
3- जिलाधिकारी संबंधित जनपद।
4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
6- नियोजन अनुभाग-4
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डी0के0सिंह)
विशेष सचिव ।

http://shanadesh.up.nic.in